International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialresearchjournals.com
Volume 3; Issue 2; February 2017; Page No. 96-98

मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की सामाजिक चुनौतियाँ

राम बाबू

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

प्रस्तावना

"गोंड मध्य भारत का एक विशाल जनजातीय समुदाय है| यह समुदाय अनेक उपजातियों के समूहों से मिलकर बना है| नृजातीय साहित्य में गोंड अपने रंगारंग युवागृहों के कारण बहुचर्चित रहे हैं| गोंड समुदाय मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्त्र, आंध्रप्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, और गुजरात में निवास करते है| परन्तु इनका मूल निवास स्थान छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र माना जाता है| गोंड समुदाय की कुल जनसंख्या पचास लाख से अधिक है जो केवल मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में ही इनकी संख्या तीस लाख से भी अधिक है जो अपनी पचास से अधिक उपजातियो में बंटे हुये प्रदेशों के मध्यवर्ती पठारी भाग – मंडला, सिवनी, छिंदवाडा, और बैतूल तथा बस्तर क्षेत्र में फैले हुये है| आज भी मंडला जिले की लगभग आधी जनसँख्या गोंड है| इस समुदाय के लोगो की एक विशेषता यह है कि ये लोग अपना परिचय मूल गोंड जाति के रूप में न देकर अपनी उपजाति के नाम से या "कोतार" कह देते है| "कोय" "कोयतोर" या "कौतोर" शब्द का अर्थ है पर्वतीय मनुष्य या गिरिवासी| इनकी परम्परागत पड़ोसी जनजातीय है बैगा, खोंड, अगडिया, भूमिज तथा गदबा आदि| 'अतः इस समुदाय के लोगो की शारीरिक बनावट के आधार पर इनके' त्वचा का रंग कथई या कालापन लिये हुए होता है| इनके बाल मोटे, काले तथा घुमावदार, चेहरा गोल, आंखे काली, ओठ मोटे और नाक फूली हुई होती हैं|[1]

'गोंड एक बहुत ही प्रभावशाली जनजाति है और गोंड प्रकृति प्रेमी होतें है क्योकि प्रकृति से इनका बहुत लगाव होता है| "गोंड शब्द तेलगू भाषा के गोंडा या गोंड से आया है जिसका अर्थ होता है पर्वत अर्थात पर्वत पर रहने वाले गोंड कहलाये और गोंड लोग जिस बोली या भाषा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते है वह गोंडी कहलाती है| गोंडी शब्द द्रविण परिवार के मध्यवर्ग की भाषा है| बालाघाट, बैतूल, पूर्वी निमाड़, होशंगाबाद, छिंदवाडा, सिवनी, के गोंड लगभग शुद्ध गोंडी बोलते है|"[2]

'हजारों वर्षो से जनजातियाँ जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रह रही है| खुले मैदानों के निवासियों और सभ्यता के केन्द्रों से उनका संपर्क आकस्मिक से अधिक नहीं रहा| मैदानी इलाकों के साहूकारों और व्यापारियों के भीषण आक्रमण ने जनजाति समाज को तबाही के गर्त में ढकेल दिया| ऐसे अनेक उदाहरण मिलते है की मैदानों से आयें इन धूर्त, चालाक और पेशेवर लोगो के संपर्क में आने के बीस से तीस वर्षो के भीतर जनजातीय लोग अपनी आर्थिक आत्म निर्भरता और अधिकांश भूमि खो बैठे जो हमेशा से जल, जंगल, जमीन, पर अधिकार रहा है | इन गरीब और सभी तरह से दुर्बल जनजातियों की व्यथा कथा लगभग सौ वर्षो के समय समय पर प्रतिध्वनि होती रही है| देश की स्वतंत्रता के बाद भी उन्हें सरकार ने और उनके अपेक्षाकृत सभ्य देशवासियों ने एक समस्या की सज्ञा ही दी उससे ज्यादा कुछ नहीं|'[3]

"गोंड जनजाति सबसे अधिक प्रभावशाली जनजाति है| गोंड प्रकृति की कोख में किसी पहाड़ी पर या नदी किनारे रहना पसंद करते है| गोंडो के अधिकांश गाँव सड़क से दूर जंगलों में बसे होते है गोंड प्रकृति प्रेमी होते है| गोंडो का सर्वाधिक प्रिय पेय शराब है और गोंडो के जीवन में शिकार का बहुत महत्व है| गोंडो की जीविका का सबसे बड़ा साधन शिकार है|"[4]

'भारतीय सविधान की पांचवी अनुसूची में "अनुसूचित जनजातियों" के रूप में प्रावधान किया गया है। अतः अक्सर इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ एक ही श्रेणी "अनुसूचित जातियों और जनजातियों" मे रखा जाता है जो कुछ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के लिए पात्र है। आदिवासियों के अपने जनजातीय संप्रदाय, रीतिरिवाज, परम्पराये और संस्कृति हैं, जो इस्लाम या वैदिक हिंदू धर्म से अलग हैं पर तांत्रिक शैव के अधिक करीब हैं। 19 वीं सदी के दौरान ईसाई मिशनरियों द्वारा इनकी एक बडी संख्या का परिवर्तन कराकर ईसाई बना दिया गया। माना जाता है कि हिंदुओं के देव भगवान शिव भी मूल रूप से एक आदिवासी देवता थे लेकिन आर्यों ने भी उन्हें देवता के रूप मे स्वीकार कर लिया। आदिवासियों का जिक्र रामायण में भी मिलता है, आजादी के 78 साल बाद भी भारत के आदिवासी उपेक्षित, शोषित और पीड़ित नजर आते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ और नेता आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। देश में अभी भी आदिवासी दोयम दर्जे के नागरिक जैसा जीवन-यापन कर रहे हैं। नक्सलवाद हो या अलगाववाद, पहले शिकार आदिवासी ही होते हैं। उड़ीसा के कंधमाल में धर्मांधता के शिकार आदिवासी हुए और छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड में आदिवासी नक्सलवाद तथा माओवाद की त्रासदी झेल रहे हैं। पहली बार 'यूपीए-सरकार के शासन में आदिवासियों के अपने क्षेत्र और संसाधनों पर अधिकार की बात को कानूनी तौर पर मान्यता मिली। आदिवासी संरक्षण के लिए नया कानून बना जिसके द्वारा ब्रिटिश जमाने के समस्त नकारात्मक प्रावधानों की विदाई तो हुई लेकिन स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया'।[5]

'वर्तमान समय में जनजातीयों की सामाजिक चुनौतियों को हम अनदेखी नहीं कर सकते है| वैसे तो जनजातियों के समक्ष अनेक प्रकार की सामाजिक चुनौतियाँ आज विकराल रूप से मुंह बाएं खडी हुई है'| 'आज जिस गति से जल, जमीन, जंगलों पर भू माफियाओ द्वारा उनके खनिज सम्पदा पर जिस प्रकार से बंदिशे बढ़ रही है, उससे तो लगता है कि आने वाले दिनो में उनके समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियाँ सामने खड़ी हो सकती हैं|'[6] इस प्रकार मध्य प्रदेश में गोंड जनजातियों की निम्नलिखित सामाजिक चुनौतिया-

गरीबी- 'गरीबी तो समस्त मानव के लिए एक अभिशाप की तरह ही होती है| गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी सर्कार ने पंचवर्षीय योजना शुरु की और इस क्षेत्र में काफी परिवर्तन भी देखने को मिला लेकिन उतना परिवर्तन नहीं हो सका जितना कि होना चाहिए था|' "योजना आयोग ने ग़रीबी के प्रतिशत का अनुमान 1983-84 में 37.4 प्रतिशत और 1987-88 में 29.9 प्रतिशत लगाया| यह प्रतिशत कुल आबादी का है| 1983-84 के काल में ग्रामीण इलाको में ही रहते है| जनजातीय समुदाय धीरे – धीरे एक ऐसी प्रक्रिया का शिकार होता गया जिसमे एक ओर तो उनके साधनों के आधार और उत्पादन रास्ट्रीय एवम् अंतरास्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अस्त व्यस्त हुए और दूसरी ओर उनके परम्परागत सामुदायिक अधिकारों (जल, जंगल, जमीन,)और आर्थिक मूलाधारों का अपहरण राज्य सरकारों और व्यापारी हितो द्वारा किया गया| जंगलों से वन उत्पाद सम्बंधित उनके परम्परागत अधिकार पूरी तरह से छीन लिए गये| जनजातियों की अच्छी उपजाऊ जमीने उन लोगो के हाथो में चली गयी जो उनके समाज के नहीं है| जनजाति के लोग दिन प्रति दिन गरीब होते जा रहे है| यही

नहीं, वे बड़ी संख्या में मजदूरी करने लगे है और इन मजदूरो को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती|'[7]

'भारत सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी दूर करने का नारा दिया गया| इससे अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की स्थिति में सुधार आया| लेकिन अनुसूचित जनजाति की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया|' 'वास्तव में यदि सारकार इनकी गरीबी को हटाने के पक्ष में है तो इसमें क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन करने होगे| जिसमे कि बीच में दलाल एवं बिचौलिए न आ सके|' "यह एक आश्चर्यजनक घटना है की देश के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत भाग जनजातीय प्रदेश है और जहां पर अनुमानतः रास्ट्रीय संसाधनों का 70 प्रतिशत खनिज, वन, वन्य प्राणी, जल संसाधन तथा सस्ता मानव संसाधन विद्मान है और देश के अधिकांश मूलभूत उद्दोगों, उर्जा संसाधनों, बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं तथा यातायात एवं संचार के साधनों में सर्वाधिक पूजीं विनियोजित की गयी है| फिर भी यहाँ रहने वाले भारतीय पुत्रों की पहचान देश के निम्नतम समुदाय के रूप में की जाती है क्योकि अब तक इनके जीवन दर्शन में उत्पादन, उपभोग, बचत, पूजीं निर्माण तथा विनियोजित की मनोवृत्ति का आभाव है| अतः स्पष्ट है कि रास्ट्रीय आय में आदिवासियों का योगदान लगभग शून्य है| तो क्या इसका अर्थ यह है कि इनके लिए विकाश का अर्थशास्त्र अप्रासंगिक हो चूका है| क्या राष्ट्र निर्माताओ, नीतिनिर्धारको, योजनाकारों और प्रशासकों की रणनीति असफल हो चुकी है? उपरोक्त प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के पूर्व इनके सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तर को समझना अधिक समीचीन होगा|"[8]

ऋणग्रस्तता: "भारतीय जनजातियों की समस्याओ में संभवता ऋणग्रस्तता की समस्या सबसे जटिल है, जिसके कारण जनजातीय लोग साहूकारों के शोषण का शिकार होते है|"[9]

'इस ऋणग्रस्तता का कारण है, निर्धनता, भुखमरी तथा दुर्बल आर्थिक व्यवस्था है| सीधे सादे इन जनजातियों का पढ़े लिखे लोगो ने अपने व्यापारिक और राजनीतिक हितो की दृष्टि से इनका भरपूर दुरूपयोग किया क्योकि इन आदिवासियों में छल कपट आदि की भावना नहीं थी| ये जनजातियाँ सरलतापूर्वक धूर्त और बेईमानो के चंगुल में फसती गयी निम्नलिखित कारणों से पहला है- भाग्यवादी प्रविति्त व संकुचित विचारधारा के कारण|, जाति बिरादरी से निष्काषित किये जाने के भय से तथा पंचायत के द्वारा लगाये गए जुर्मानो के सम्बन्ध में पंचायत के आदेशों का पालन|, विवाह, मृत्यु, मेलो तथा उत्सवो में अपनी क्षमता से अधिक व्यय करने की प्रविति्त और उपरोक्त परिएस्थितियो के कारण जनजातीय लोगो को सदैव रूपए की आवश्यकता रहती है; जिससे ये साहूकारों या ठेकेदारों से उच्च व्याज दर पर रुपया उधार लेते है और उनकी व्याज दरें इतनी अधिक होती है कि उन्हें चुकाते समय इनकी पूरी जिंदगी बीत जाति है और मूलधन इन पर बना रहता है| इसका जीता जगता उदाहरण है- मदर इंडिया जिसमे मार्मिक तरीके से दिखाया गया है की ऋण कैसे होता है|' 'इस परिदृश्य को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें समाज की मुख्य धारा में लेन के लिए अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही है| और धीरे –धीरे इन्हें अन्य महत्वपूर्ण योजनाओ की जानकारी दी जा रही है|'[10]

बेरोजगारी- "जनजातियों का एक बहुत बड़ा बहुमत लगभग ८५ प्रतिशत कृष क्षेत्र में काम करता है|"[11]

'इसे हम कह सकते है कि जहां तीन व्यक्तियों की आवश्यकता है वहां पर आठ व्यक्ति लगे और उत्पादन में कोई भी वृद्धि भी न हो तो इसे हम प्रछन्न बरोजगारी की सज्ञा दे सकते है आर्थात छिपी हुई बेरोजगारी|' "वर्तमान परिदृश्य में रास्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर जिसमें केंद्र और राज्य की सरकारों ने बराबर की पूजी लगाई है' पर 1980 से काम हो रहा है| ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को 1983 में अमल में लाया जा रहा है| इन दोनों कार्यक्रमों का लक्ष्य ग्रामीण भूमिहीन को न्यूनतम सुनिश्चित स्तर का रोजगार दिलाना है| इन भूमिहीनों में ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग है| इन्हें वर्ष के उन महीनो में रोजगार दिलाना आवश्यक है जब इनके पास कोई काम नहीं होता|"[12]

'इस समय इनकी बरोजगारी को दूर करने में सरकार अनेक प्रकार के कार्यक्रम संचालित कर रही है उनमे से एक महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा जिसके तहत लोगो को 100 दिन काम का अधिकार उपलब्ध कराया जाता है|'

शिक्षा- 'शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में ला सकते है| क्योकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है|' "1950 से पहले जनजातीय लोगो को शिक्षित करने के लिए भारत सरकार की कोई भी प्रत्यक्ष योजना नहीं थी| सविधान प्रभावी होने के पश्चात अनुसूचित जनजाति के लोगो के शिक्षा स्तर में वृद्धि करना केंद्र तथा राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हो गया है| जनजातीय जनसँख्या में औपचारिक शिक्षा के विस्तार का अनुमान जनगणना के आँकडो से लगाया जाता है| 1931 की जनगणना के अनुसार केवल 0.7 प्रतिशत जनजातीय लोग शिक्षित थे| 1991 में यह संख्या बढ़कर 29.60 प्रतिशत हो गयी जबकि पुरे देश में लगभग 50 प्रतिशत शिक्षित लोग थे| जनजातीय महिला में शिक्षा की दर बहुत कम है| उत्तर पूर्वी क्षेत्रो की खासी तथा गारो आदि जनजातियों को छोड़कर जिन्होंने इसाई मिशनरियों से खूब लाभ उठाया|"[13]

'आज भी जनजातियों में यह प्रथा है की शिक्षा से उनके बच्चे उनसे दूर हो जाय और उनके देवता उन्हें नष्ट कर दे|' 'शिक्षा न दिलाने का प्रमुख कारण यह भी है कि वे इतने निर्धन है कि अपने बच्चो को स्कूल नहीं भेज सकते है|' "जनजातीय शिक्षा के विकास में भाषा भी एक बड़ी बाधा है| अधिकतर जनजातीय भाषाये मौखिक है जिनकी कोई लिपि नहीं है| ऐसी स्थितियो के कारण शिक्षा का माध्यम एक बड़ी समस्या हो गया है|"[14]

"जनजातियों के निवास स्थानो के कारण भी शिक्षा का विकास धीमा रहा है| अधिकतर आबादी दूर-दूर है तथा स्कूलों तक पहुचने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है|"[15]

मदिरापान: "जनजातियों में मदिरापान का अत्यधिक चलन है| अधिकतर जनजातियाँ मदिरापान के सम्बन्ध में बहुत सवेदनशील है तथा महुए के पेड़ को पवित्र मानती है| बाजरे तथा चावल द्वारा अपने घरों में बनायीं गयी मदिरा जनजातियों में बहुत लोकप्रिय है|"

[16] 'लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ठेकेदारों और शराब माफियाओं के द्वारा उन पर मदिरा बंद करवाने के लिए गुंडे और पुलिस की मदद लेते है| इस शराब अथवा अंग्रेजी शराब पीने की लत एक बार जब इनको लग जाती है तो वे इस चगुल में फँस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है|'

आवास: "मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के गोंड साफ सुथरे व कलात्मक आवासों का निर्माण करते है| जनजातियों में आवासीय समस्या इतनी गंभीर नहीं है परन्तु सभी जनजातियों को यह सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है तथा मैदानों में रहने वाली जनजातियों की आवासीय समस्या गंभीर है| इन लोगो के पास जल, जंगल, जमीन, और भूमि व आवास की नितांत कमी है|"[17]

"जनजातियों की आवासीय समस्या को सुलझाने में वन विभाग भी बाधक है| अफसरशाही तथा संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण वनसंपदा के प्रयोग पर जो रोक लगा दी गयी है, उसके कारण सम्पूर्ण वन-नीति जनजातीय कल्याण कार्यक्रम में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आई है| आवश्यक वस्तुओं का संकलन करने के लिए किसी वन अधिकारी की स्वीकृति पाना इन जनजातियों के लिए बहुत कठिन हो गया है| कड़े नियमों के चलते इन लोगो को मकान बनाने या उसमे सुधार करने के लिए लकड़ी बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है जो उन्हें अलगाववादी आन्दोलन के लिए प्रेरित कर सकती है|"[18]

स्वास्थ- "प्रायः जनजातीय लोग सरकारी चिकित्सालयों में कम ही आते है| इसका कारण है इनकी अपनी चिकित्सा पद्धतियाँ| सुदूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रो में रहने वाली जनजातियों में यह विश्वास व्याप्त है कि बीमाँरियां दैवी शक्तियों, भूत-प्रेतों के प्रकोप या किसी परम्परा या नियम के उलंघन के कारण होती है| सभी उपचारों से निराश होने के बाद ही ये लोग स्वास्थ्य कर्मचारियों से सम्पर्क करते है| तब तक काफी देर हो चुकी होती है|"[19]

"जनजातीय लोगो का सामान्य स्वास्थ्य बहुत बुरा नहीं है परन्तु लगातार संक्रमण से उनको अक्सर बीमारियों का सामना करना पड़ता है| वैसे तो जनजातियाँ बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त रहती है परन्तु सबसे अधिक मात्रा में जल संक्रामक रोग पाए जाते है जिनसे बहुत लोगो की मृत्यु हो जाती है|"[20]

"वैसे गोंड आदिवासी। यह शब्द सुनते ही हमारे जेहन में घुटने तक धोती पहने हुए हट्टे-कट्टे बलवान और श्याम वर्ण के युवक की तस्वीर उभरती है"।[21]

लेकिन- "आज आदिवासी समुदायों में बड़े पैमाने पर महाजनी कुप्रथा प्रवेश पा रही है| आदिवासी इस कुप्रथा के कूचक्र में बुरी तरह फंस कर रह गया है| यह महाजनी कुप्रथा गांव के स्तर से लेकर, आज राज्य, रास्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपना पांव पसार चुकी है. इसके अलावा वर्ण आधारित व्यवस्था भी जो वर्चस्व पर आधारित है वे भी धीरे-धीरे आदिवासी समुदाय में अपनी जड़े जमा चुकी है. इसके पालने का काम वही ताकतें कर रही हैं जो भारत को बहुलवादी देश से एक हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए प्रयासरत है. आज आदिवासी समुदाय पर विकास बनाम विस्थापन की अमानवीय विभत्स तस्वीर उभरी है जो आदिवासियों की भूमि पर आज बड़े-बड़े उद्द्योग स्थापित किए जा रहे हैं और इस संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी तो खत्म ही की जा रही है साथ ही उन्हें अपना मूल निवास स्थान जल, जंगल, जमीन, छोड़ने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है| विकास के इस अमानवीय मॉडल में उनके प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही उनके बुनियादी अधिकारों को भी छीन लिया है| और यह अमानवीय कार्य आज भी बदस्तूर जारी है| आदिवासी समाज में कुछ आंतरिक समस्याएं भी हैं जिसको जांचा परखा जाता रहा है| आदिवासी समाज की कुप्रथाएं मसलन अंधविश्वास और शराबखोरी भी बड़े स्तर पर आदिवासी समुदाय में व्याप्त है| जिनसे उनके पिछड़ेपन का बोध होता है हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन इनकी जरूरतों को देखते हुए यह प्रयास पर्याप्त नहीं है| इसलिए जरूरत है इनके विकास के लिए जिम्मेदारी एवं ईमानदारी से काम करने की| आदिवासीयों की आदिम संपत्ति जल जंगल और जमीन को सत्ता के ठेकेदार कॉर्पोरेट हाथों में सौंप रहे हैं और आदिवासीयों को लगातार विस्थापित करने का प्रयास कर रहे। आशा का श्रोत बस वह संघर्ष है जो आदिवासी अपने बलिदान की चिता पर लड़ रहे हैं और अन्याय व शोषण के इस पहाड़ का हटना असंभव भी नहीं है "आप हटा सकते हैं"-लगातार कोशिश सेI "खोदते-खोदते एक पीढ़ी बर्बाद हो सकती है दूसरी भी हो सकती है लेकिन पहाड़ हट कर रहेगा अगर खोदना जारी रहा|"[22]

'अंतन्तः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते है कि आज के वर्तमान परिदृश्य में जनजातियों की सामाजिक चुनौतियाँ जो भी है वह धीरे-धीरे अनुकूल हो रही है और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक लोककल्याणकारी योजनाये संचालित की जा रही है| और शिक्षा के द्वारा उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे है| तथा अब धीरे-धीरे इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे है| वे अब समाज की मुख्य धारा में आ रहे है| इनमे से कुछ लोग छिंदवाडा जनपद के आसपास कोयले की खानों में मजदूरी करने लगे है | लेकिन फिर भी उनकी बहुत सी समस्याएं है जिनका समाधान करना होगा जो उनके अधिकार जल, जंगल, जमीन, है उन पर उनका हक़ दिलाना होगा और उनकी जो कुशलताएँ है उसको तराशना तथा सहेजना होगा|'

सन्दर्भ सूची-

1. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. – 148.
2. नायडू पी. आर. "भारत के आदिवासी विकास की समस्याए", राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली-११०००२, आई.एस.बी.एन. ८१-७४८७-१०४-७, प्रथम संस्करण-1997, पृ. 28.
3. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –141.
4. नायडू पी. आर. "भारत के आदिवासी विकास की समस्याए", राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली-११०००२, आई.एस.बी.एन. ८१-७४८७-१०४-७, प्रथम संस्करण-1997, पृ. 15.
5. http://prof-rlmeena.blogspot.in/2011/01/tribes-now-days.html
6. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –14.
7. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –१६३.
8. http://hindi.indiawaterportal.org/print/50020
9. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –148.
10. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –१४९
11. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –167.
12. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –167.
13. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –१७८.
14. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –181
15. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –181
16. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –172
17. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –176
18. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –177
19. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –169
20. हसनैन नदीम. "जनजातीय भारत", जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली, आठवां, संस्करण- २०१३. पृ. –168
21. http://hindi.indiawaterportal.org/node/45716"
22. भारत के मूलनिवासी आदिवासी की वर्त्तमान स्थिति एवं चुनौतियां व संघर्ष, October 12, 2016. http://votergiri.com